न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी **सुश्री अमिता मान (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या : 39/2023
दायर दिनांक : 20/06/2023
निर्णय दिनांक : 20/07/2023

उनवान

1. रतनलाल पिता वेरूलाल उर्फ बिहारीलाल जाट निवासी मनाखेड़ा तह. मावली जिला उदयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामलाल पिता किशोर जाट निवासी मनाखेड़ा तह. मावली जिला उदयपुर
2. हीरालाल पिता रामलाल जाट निवासी मनाखेड़ा तह. मावली जिला उदयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 **एल.आर. एक्ट बाबत** पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **ग्राम बडवई तहसील भूपालसागर की खाता सं. 236 में आ.सं. 1177 रकबा 0.02 है., आ.सं. 1182 रकबा 0.02 है., आ.सं. 1183 रकबा 0.03 है., आ.सं. 1186 रकबा 0.11 है. आ.सं. 1189 रकबा 0.16 है., आ.सं. 1190 रकबा 0.12 है., आ.सं. 1191 रकबा 0.10 है., आ.सं. 1192 रकबा 0.09 है., आ.सं. 1193 रकबा 0.12 है., आ.सं. 1211 रकबा 0. 26 है., आ.सं. 1212 रकबा 0.25 है., आ.सं. 1213 रकबा 0.07 है. कुल किता 12 रकबा 1.35 है., एवं खाता सं. 234 में आ.सं. 1210 रकबा 0.56 है., आ.सं. 1215 रकबा 0.29 है. किता 2 रकबा 0.85 है. में आधा हिस्सा** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर [illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2023.10.11 16:02:40 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर